

2021/722

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प बोयल

कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/727

दिनांक : 03.11.2021

शु.नं. 611/21 -:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिन्धीपुरा व मू.अ.नि.पीपाड़ शहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 280, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिन्धीपुरा	280	840, 840/1, 841, 842	वहीद खां पुत्र उस्मान खां	सईद खां पुत्र उस्मान खां

(दुदारा राम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

दिनांक :- 03.11.2021

कमांक :-सम/2021/728-730

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी सिन्धीपुरा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी सईद खां पुत्र उस्मान खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रईयानगर को सूचनार्थ।

(दुदारा राम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर